

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

765 के0वी0डी0सी0 उरई-अलीगढ़ पारेषण लाइन (पैकेज टी0ई0-8) के निर्माण हेतु मैनुपुरी में 0.7884 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग, फिरोजाबाद में 0.8072 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन एवं एटा में 1.2300 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन कुल 2.8256 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. – 26448/2017

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें –	प्रस्ताव जनहित में होने के कारण संस्तुति की जाती है।

दिनांक :

स्थान : आगरा।

4/20.3.18
(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक, **वन संरक्षक**
आगरा वृत्त, आगरा **आगरा वृत्त, आगरा**

